<u>अति महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-03/2025/09/सैतालीस-का-5-2025-(1884274)</u>

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

<u>कार्मिक अनुभाग-5</u> **लखनऊ : 17-01-2025**

विषयः-समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- 3001/चौतीस-लो०शि०-5/2024-3 लो०शि०/2021टी०सी०, दिनांक 30.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-07/2023/293/सामान्य/सैतालीस-का-4-2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा राज्य कर्मचारियों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबन्धन आदि) मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०आर०) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2023-24 से वार्षिक प्रविष्टि (ACR) मानव सम्पदा पोर्टल यू०आर०एल० ehrms.upsdc.gov.in पर आनलाइन दाखिल किये जाने के संबंध में पत्र संख्या-63/ सैतालीस-का-5-2024-(1788429), दिनांक 24.02.2024 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 2024 के प्रस्तर 5 (1) (iii) में प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपना-अपना मन्तव्य अंकित करने हेतु तिथियों निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुसार स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा 31 दिसम्बर, 2024 तक अपना मन्तव्य अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 को मानव सम्पदा पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार वर्तमान स्थिति निम्नवत् है:-

कुल कार्मिक	कुल छूट प्राप्त कार्मिक	कुल वर्कफ्लो प्रीफिक्स्ड	कुल वर्कफ्लो NOT प्रीफिक्स्ड	कुल स्वामूल्यांकन प्रस्तुत	कुल आकलित APAR	कुल समीक्षित APAR	कुल स्वीकृत APAR
51,268	4959	43,697	2612	34,108	26,230	18426	6928

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन गोपनीय प्रविष्टियां दर्ज किये जाने का कार्य समय से पूर्ण नहीं किया गया है, जो अत्यन्त खेद जनक है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आलोच्य वर्ष 2023-24 की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन लिखे जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

(1) अद्यतन वर्क-फ्लो प्रीफिक्स न किए जाने हेतु सम्बन्धित नोडल अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

(2) चूंकि यह व्यवस्था प्रथम बार ऑनलाइन किया गया है। अत: कार्मिकों का हित प्रभावित न हो इस उद्देश्य से वर्ष 2023-2024 के ऑनलाइन गोपनीय प्रविष्टियां हेतु वर्कफ्लो जनरेशन के लिए दिनांक 22.01.2025 तक का अतिरिक्त समय निर्धारित करते हुए स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता मन्तव्य अंकन हेतु क्रमश: दिनांक 27.01.2025, 01.02.2025, 06.02.2025 एवं दिनांक 11.02.2025 तक समय प्रदान किया जाता है। उपरोक्त निर्धारित समयावधि में समस्त अपेक्षित कार्यवाही अवश्य ही पूर्ण करा ली जाए।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

C.No. – 1884274

संख्या 635/सैंतालीस-का-5/2024

संख्या 3001/सैंतीस-लो०शि०-5/2024-3लो०शि०/2021 T.C.

दिनांक 30/12/2024

मानव सम्पदा पोर्टल

कृपया कार्मिक विभाग के पत्र संख्या 63/सैंतालीस-का-5-2024-(1788429), दिनांक 24 फरवरी, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का कार्य वर्ष 2023-2024 से अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 2024 के प्रस्तर 5(1)(iii) में प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपना-अपना मन्तव्य अंकित करने हेतु तिथियाँ निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुसार स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा 31 दिसम्बर, 2024 तक अपना मन्तव्य अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना है।

3- दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को मानव सम्पदा पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार वर्तमान स्थिति निम्नवत् है:-

APAR Statistics							
कुल कार्मिक	कुल छूट प्राप्त कार्मिक	कुल वर्कफ़्लो प्रीफ़िक्स्ड	कुल वर्कफ़्लो NOT प्रीफ़िक्स्ड	कुल स्वमूल्यांकन प्रस्तुत	कुल आकलित APAR	कुल समीक्षित APAR	कुल स्वीकृत APAR
51,244	4,961	43,702	2,581	34,027	25,801	17,379	5,917

उक्त से स्पष्ट है कि कुल 2,581 कार्मिकों हेतु वर्क फ्लो प्रीफिक्स ही नहीं किया गया है, जिस कारण इन अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त कुल 43,702 कार्मिकों (जिनके वर्क फ्लो प्रीफिक्स हो चुके हैं) के सापेक्ष मात्र 34,027 कार्मिकों द्वारा अपना स्वमूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है और मात्र 5,917 APAR (Annual Performance Appraisal Report) ही स्वीकृत हुए हैं।

4- मानव सम्पदा पोर्टल की प्रगति के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय में दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या-2045/34-लो0शि0-05/2024/03लो0शि0/2021(टी.सी.) दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर ACR/APAR को भरे जाने के सम्बन्ध में भी निर्देश निर्गत किए गए हैं।

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

31.12.2024

e-adhiyachan

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

संख्या .....

दिनांक .....

5- कृपया उक्तांकित स्थिति में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई है:-

(1) ACR/APAR सम्बन्धी कार्य को निर्धारित तिथि तक पूर्ण किए जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित किया जाए।

(2) अद्यतन वर्क-फ्लो प्रीफिक्स न किए जाने हेतु सम्बन्धित नोडल अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा प्रभावित होने वाले कार्मिकों के हित में आवश्यक निर्णय लिया जाए।

(3) कार्यवृत्त दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक: यथोक्त।

(एस० पी० गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री।

प्रमुख सचिव
कार्मिक विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या- /चौंतीस/ लो०शि०अनुभाग-5/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्यमंत्री उ०प्र० शासन।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC उत्तर प्रदेश।
4. श्री ए०के० रावत, वरिष्ठ निदेशक (आईटी), NIC उत्तर प्रदेश।
5. श्री हेमन्त अरोरा, वरिष्ठ निदेशक (आईटी), NIC उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्कर चन्द्र काण्डपाल)
उप सचिव, मुख्यमंत्री।

e-adhiyachan